

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०)  
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण क्रमांक-432 / 14

संस्थापित दिनांक 17 / 07 / 14

फाईलिंग नं. 233504002482014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :-

नीतेश पिता हरीराम प्रजापति, उम्र 24 वर्ष,  
 जाति कुम्हार, पेशा मजदूरी, नि० रतेड़ा रोड आमला,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-31 / 01 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 06 / 07 / 14 को 10:00 बजे रात्रि थाना आमला जिला बैतूल म.प्र. के अंतर्गत संतोषी माता मंदिर रतेड़ा रोड आमला, सार्वजनिक स्थान या उसके समीप है रामदयाल को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया, आपने रामदयाल को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, आपने फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने तथा संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06 / 07 / 14 कोक रात करीबन 10 बजे की बात है उसका पड़ोसी नितेश प्रजापति आया और उसे पुरानी रंजिश पर से माँ बहिन की गंदी गद्दी गालियों देने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो उसे हाथ मुक्का लात जुता से पीठ पर मारपीट किया। जिससे उसे सीने पर, दांहिने हाथ, कंधे एवं भुजा पर चोट आयी है। नितेश ने उसे धमकी दी की अगर उसके खिलाफ थाना में रिपोर्ट करेगा तो उसे परिवार सहित जान से मारकर खत्म कर देगा। ऐसी धमकी दिया। घटना शिवपाल, भुरा, संतोष पिताश्यामराव ने देखी है।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अप०क्र०-515 / 14 कायम कर अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० धारा-294, 323, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 09.07.14 को नक्शा मौका प्र०पी० 2 तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी

पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— : **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-**

1— “क्या आपने दिनांक 06/07/14 को 10:00 बजे रात्रि थाना आमला जिला बैतूल म.प्र. के अंतर्गत संतोषी माता मंदिर रतेड़ा रोड आमला, सार्वजनिक स्थान या उसके समीप है रामदयाल को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया?”

2— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने रामदयाल को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?”

3— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने तथा संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?”

—: **निष्कर्ष एवं उसके आधार :-**

**विचारणीय प्रश्न क० 2 का निराकरण**

6— अभियोजन साक्षी रामदयाल (अ०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने आरोपी को गालियाँ देने से मना किया तो आरोपी ने जुता निकालकर उसे सीने में दाहिने कंधे एवं दाहिने हाथ में मारा। मारपीट से इन्हीं जगहों पर चोट आई। घटना सतीश एवं शिवपाल ने देखी थी। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि नितेश ने उसे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। किन्तु बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा में जो तथ्य लाए हैं कि अभियुक्त ने उसका साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। किन्तु उक्त तथ्य के कारण यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने फरियादी रामदयाल के साथ घटना दिनांक 06/07/14 को मारपीट नहीं की। क्योंकि आरोपी ने जुता निकाल कर उसके सीने में दाहिने कंधे एवं दाहिने हाथ में मारा। उक्त तथ्य के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई खंडन किया गया है और ना ही प्रतिपरीक्षा में ऐसे तथ्य लाए हैं कि अभियुक्त ने फरियादी रामदयाल के साथ मारपीट की। उक्त तथ्यों से यही माना जायेगा कि अभियुक्त ने फरियादी रामदयाल के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति करित की।

7— अभियोजन साक्षी शिवपाल सरले (अ०सा०२) ने अपनी साक्ष्य में बताया कि आरोपी नितेश वहां पर आया और वह और दो चार लोगों के सामने रामदयाल को दो चार लात मार दिया। आगे इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में यह स्वीकार किया है कि जो उसका दामाद है रामदयाल उसने तो बताया था कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई, आरोपी से रंजिश के लेकर रिपोर्ट किया था। न्यायालय की ओर से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-165 के परिपेक्ष्य में मुख्य परीक्षा से प्रतिपरीक्षण में आये विसंगत कथनों के कारण न्यायालय की ओर से प्रश्न किया गया कि रामदयाल को नितेश ने उसके सामने मारपीट की थी और उसकी रिपोर्ट की थी तो इस गवाह ने उक्त बात को सही होना बताया है। अर्थात् अभियुक्त नितेश ने फरियादी रामदयाल को इस गवाह के समक्ष मारपीट की है, जो कि स्वेच्छया साधारण उपहति को स्पष्ट करता है।

8— अभियोजन साक्षी एन0के0 रोहित (अ0सा03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 07/01/17 को रामदयाल पिता रोशन का परीक्षण किया जिसे कोई चोट के निशान नहीं थे परन्तु उसे छाती एवं दाहिने हाथ में दर्द था, जो उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार इस गवाह ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया है कि छाती एवं दाहिने हाथ में दर्द था। अर्थात् डॉ0 एन0के0 रोहित (अ0सा03) ने जो अभियुक्त को द्वारा मारपीट की गई थी उस चोट छाती व दाहिने हाथ में दर्द था, जो कि मारपीट में दर्द होने के तथ्य की पुष्टि करता है।

9— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने रामदयाल को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 2 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

### **विचारणीय प्रश्न कं 1 व 3 का निराकरण**

10— अभियोजन साक्षी रामदयाल (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय आरोपी नीतेश उसके घर में स्थित दुकान पर आया और उसे कहा कि मादर चोद बहन चोद उसके नाम की रिपोर्ट क्यों किया। उक्त गालियाँ अश्लीलता प्रगट नहीं करती हैं क्योंकि मादर चोद बहन की गाली लोकाचार की भाषा में कहीं जाती है। उक्त गालियाँ को अश्लीलता नहीं माना जा सकता। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा दी गई गालियाँ अश्लीलता प्रगट करती हो, जिसके कारण फरियादी को क्षोभ कारित हुआ हो। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

11— अभियोजन साक्षी रामदयाल (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसे मकान सहित उड़ा दूंगा और उसकी तीनों बच्चियों को उठाकर ले जाऊंगा। लेकिन उक्त गवाह की साक्ष्य से आगे यह प्रगट नहीं है कि उक्त धमकी का प्रभाव फरियादी पर पड़ा हो, इस प्रकार के भी कोई तथ्य नहीं है जिनसे यह प्रगट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा दी गई धमकी वास्तविक थी आपराधिक अभित्रास के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए शाब्दिक धमकी पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार के तथ्य व परिस्थिति प्रकट होने चाहिए जिससे यह आशय निकले की अभियुक्त की धमकी वास्तविक थी और फरियादी उस धमकी से प्रभावित हुआ था और उस धमकी का असर उस पर पड़ा और उसके मन में यह आंशका उत्पन्न हो गई कि अभियुक्त उसकी जान के लिए खतरनाक के लिए कोई आपराधिक कृत्य कर सकता है। इस प्रकार न्यायालय के मत में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से धारा 506 भाग-2 के लिए आवश्यक तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं। उक्तानुसार विचारणीय प्रश्न कं 3 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

12— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ने रामदयाल को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह अप्रमाणित है कि अभियुक्त ने रामदयाल को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी अप्रमाणित है कि अभियुक्त ने फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने तथा संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त नीतेश को भा0द0वि0

की धारा-294 एवं 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। किन्तु भा०द०वि० की धारा 323 का अपराध प्रमाणित होने से अभियुक्त नीतेश को दोषसिद्ध किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

13- सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र खातरकर ने व्यक्त किया कि अभियुक्त प्रथम अपराधी है अभियुक्त मजदूरी करता है। उसके जेल जाने से उसके सामाजिक व आर्थिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः अभियुक्त को कारावास से दंडित न करते हुये कम से कम अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्री पंकज रघुवंशी के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

14- अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी रामदयाल को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की है, भा०द०वि० की धारा 323 का अपराध गंभीर प्रकृति का नहीं है। साथ ही अभियुक्त का यह अपराध प्रथम अपराध है और वह मजदूर पेशा व्यक्ति है वह लगभग 2 वर्ष तक विचारण में भाग लेते रहा है। उसके जेल जाने से उसके सामाजिक व आर्थिक जीवन में विपरीत प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता। अभियुक्त की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को अर्थदण्ड से दंडित किए जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। अतः अभियुक्त नीतेश को भा०द०वि० की धारा 323 के अपराध के आरोप में 600/- (छैः सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1 (एक) माह का साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

15- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अंतर्गत कुल राशि 600/- रुपये में से फरियादी रामदयाल को क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि 400/- रुपये की राशि प्रदान की जावे, शेष राशि राजशात की जावे।

16- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया दिनांकित  
गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

